विज्ञापन

कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स इलाहाबाद।

शासनादेश संख्या–1711/छःनासु–14–46 प्रकीर्ण/14 दिनांक 30,जुलाई 2014 एवं शासनादेश संख्या 3089/95–15–08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी 2016 होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या–6631/हो0स्व0–680/2014 दिनांक दिसम्बर 9,2014 के अनुपालन में जनपद इलाहाबाद के अर्न्तगत विभिन्न ब्लाक/नगर/महिला कम्पनी में होमगार्ड्स स्वयंसेवको के रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन में दियें गये प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2018 से 04.04.2018 के तक आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे। जिसका वेवसाइड dchgralld.co.in हैं, कृपया आवेदन सम्बन्धित वेवसाइड पर ही लोड करें । आवेदन सीधे या डॉक द्वारा किन्ही भी दशा में स्वीकार नही किये जायेगे।

ब्लाक/नगर/महिला कम्पनियों में विद्यमान रिक्तियों का आरक्षण सहित विवरण निम्नवत है। श्रेणीवार रिक्तियो का अंकन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां,अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लियें आरक्षण) अधिनियम–1994 (समय–समय पर यथा संशोंधित) उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–4 सन 1994 की धारा–3 की उप धारा (5) के अनुरूप किया गया है। होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा निर्धारित 85 रिक्तियों पर आरक्षण का आगणन 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार किया गया है। विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	कम्पनी का नाम	कुल रिक्तियां	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	नगरी कम्पनी पुरूष	44	22	13	09	–
2	नगरीय कम्पनी महिला	04	02	–	01	01
3	बहादुर पुर	05	02	01	02	–
4	बहरिया	01	01	–	–	–
5	चाका	01	–	01	–	–
6	धानूपुर	03	02	01	–	–
7	फूलपुर	01	–	–	01	–
8	होलागढ	04	02	01	01	–
9	जसरा	02	01	01	–	–
10	करछना	02	01	01	–	–
11	कौडिहार	05	03	01	01	–
12	कोरांव	01	–	–	01	–
13	माण्डा	01	01	–	–	–
14	मऊआइमा	02	01	01	–	–
15	प्रतापपुर	01	–	01	–	–
16	सैदाबाद	02	01	–	01	–
17	शंकरगढ	02	01	01	–	–
18	सोराव	01	01	–	–	–
19	उरूवा	03	01	01	01	–
20	योग	85	42	24	18	01

2– यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त समस्त पदों पर भर्ती/नियुक्ति उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम–1663(संशोधित–1972) के प्राविधानों के अधीन रहेगी।

3– आवेदन पत्र का प्रारूप एवं उससे सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप भर्ती से संबंधित समस्त नियमावलियॉ एवं निर्देश होमगार्ड्स की वेबसाइट http://uphaar.nic.in पर भर्ती ''नियमावली शीर्षक'' के अर्न्तगत उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के पूर्व इससे संबंधित सभी नियमासवलियों एवं निर्देशो का भली भॉति अध्ययन कर ले।

4– आवेदन पत्रो के परीक्षण के उपरान्त सभी अभ्यर्थियो के द्वारा वेबसाइट पर डाउनलोड किये गये सभी प्रमाण पत्रो की जॉच होमगार्ड्स मुख्यालय/ शासनादेशो के निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जॉच निर्धारित बोर्ड द्वारा दिनांक 06.04.2018 को की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों को दौड़ हेतु स्थान/तिथि/समय से तत्काल अवगत कराया जायेगा, दिनांक 06.04.2018 को समस्त मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थित न होने की दशा में संबंधित का प्रत्यावेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा। मूल प्रमाण पत्र जॉच हेतु पृथक से बुलावा पत्र प्रेषित नही किया जायेगा।

5–आयु:

दिनांक 01.01.2018 को महिला/पुरूष अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधितक 45 वर्ष निर्धारित हैं ।

6–निवास एवं निवास प्रमाण–पत्र:

(1) यह अनिवार्य है कि ग्रामीण क्षेत्र का अभ्यर्थी उसी विकास खण्ड का सामान्य निवासी हो, जिस विकास खण्ड की कम्पनी में उसे भर्ती किया जाना है।

:– शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी या तो उसी नगर क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, जिस नगर क्षेत्र की कम्पनी से उसे भर्ती किया जाना है अथवा अस्थायी रूप से उस नगर क्षेत्र में आकर बस गया हो।

(2) जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा निर्गत निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें।

7–शैक्षिक योग्यता:

होमगार्ड्स स्वयंसेवक पद के लियें अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा दसवी कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है।

टिप्पणी:

(क) आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास हाईस्कूल की अंकतालिका अथवा प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होगें।

(ख) केन्द्र/राज्य के अधीन अत्यावश्यक सेवाओ को छोड़कर अन्य शासकीय सेवक जो हेामगार्ड्स स्वयं सेवक के पद हेतु आवेदन करना चाहते है उन्हे अपने नियोक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थियो की भौक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेगे :

हाईस्कूल	05 अंक
इण्टरमीडिएट	05+03 अंक
स्नातक	05+04 अंक
परास्नातक	05+05 अंक

खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित है, जो निम्नानुसार दियें जायेगें:—

स्कूल/विद्यालय स्तर का खिलाड़ी	01 अंक
जिला/महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी	02 अंक
मण्डल/विश्व विद्यालय स्तर का खिलाड़ी	03 अंक
राज्य स्तर का खिलाड़ी	04 अंक
अखिल भारतीय/राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी	05 अंक

तकनीकी डिप्लोमा होल्डर्स तथा ट्रेडसमैन, ड्राइवर आदि को अधिकतम 10 अंको के अंतर्गत निम्नानुसार अंक दियें जायेगें।

कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक, मोटर मैकनिक एवं प्लम्बर आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमो में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को	10 अंक
उपरोक्त ट्रेडर्स में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओ के प्रमाण—पत्र धारको को	07 अंक
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभिन्न ट्रेडर्स में अनुभवी/निपुण एवं विभिन्न व्यवसायिक कार्यो जैसे राज मिस्त्री, टेलर्स, धोबी, कुक, नाई, मोची, माली, टेलीविजन मैकैनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्राथमिक चिकित्सा, फायर फाइटिंग, नर्सिंग, तैराक, कारपेन्टर आदि में दक्ष/कुशल अभ्यर्थियों को	05 अंक

(भर्ती की विज्ञापन तिथि से 01 वर्ष पूर्व के लाइसेन्स धारक) भारी वाहन चालक को	05 अंक
(भर्ती की विज्ञापन तिथि से 01 वर्ष पूर्व के लाइसेन्स धारक) हल्का वाहन चालक को	03 अंक
एन0सी0सी0 "सी" प्रमाण पत्र धारक/भूतपूर्व सैनिक	05 अंक
एन0सी0सी0 "बी" प्रमाण पत्र धारक/भूतपूर्व सैनिक	03 अंक
एन0सी0सी0 "बी" प्रमाण पत्र/कैडिट प्रमाण पत्र/एन0एस0एस0 प्रमाण—पत्र/स्काउट गार्डस	02 अंक

8— शारीरिक माप—तौल:

पुरूष अभ्यर्थी			
मानक	सामान्य अभ्यर्थी	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी
ऊॅचाई	167.7 से0मी0	160.0 से0मी0	162.6 से0मी0
सीना बिना फुलायें	78.8 से0मी0	76.5 से0मी0	76.5 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.08 से0मी0	81.05 से0मी0	81.5 से0मी0

महिला अभ्यर्थी			
मानक	सामान्य अभ्यर्थी	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी
ऊॅचाई	152.0 से0मी0	147.0 से0मी0	147.0 से0मी0

9. शारीरिक–दक्षता परीक्षाः

(i) पुरूष अभ्यर्थियों हेतु : पुरूष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 02 कि0मी0 की दौड़ करायी जायेगी।

दौड़ हेतु पुरूष अभ्यर्थी को दियें जाने वाले अंक निम्नानुसार होगें:–

06 मिनट : 10 अंक
08 मिनट : 07 अंक
10 मिनट : 05 अंक

(ii) महिला अभ्यर्थियों हेतु : महिला अभ्यर्थियो की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 500 मीटर की दौड़ करायी जायेगी।

दौड़ हेतु महिला अभ्यर्थी को दियें जाने वाले अंक निम्नानुसार होगें:–

2.5 मिनट : 10 अंक
3.5 मिनट : 07 अंक
4.0 मिनट : 05 अंक

नोट– दौड. RFID Running Chips System द्वारा कराया जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचनाः

अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ साथ लायेगे तथा चयन समित को अवलोकित कराकर मूल प्रमाण पत्रो से स्वप्रमाणित प्रतियों का मिलान करायेगे, चयन समित के सदस्य अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्रो से उसके आवेदन पत्र में अंकित तत्ससंबंन्धी विवरण से तथा अभ्यर्थी की स्वप्रमाणित प्रतियो से मिलान करके संतुष्ट होने पर अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र उसे वापस कर देगे तथा अभ्यर्थी की स्वप्रमाणित प्रतियो को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं अभिलेखो के साथ अनुरक्षित करने हेतु संबंधित जनपद के जिला कमाण्डेन्ट को प्राप्त करायेगे। अभ्यर्थी इस आ ाय का प्रमाण पत्र भी चयन समिति को प्रस्तुत करेगा। ''यदि उसके द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र के मूल प्रमाण पत्र कभी सक्षम अधिकारी / संस्थान द्वारा निर्गत नही सिद्ध होने अथवा प्रमाण पत्रों में अंकित विवरण/तथ्य मिथ्या अथवा फर्जी पायें जाये तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये तथा उसके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाये एवं मुझे प्रशिक्षण अथवा ड्यूटी के दौरान या अन्य किसी कारण से यदि कोई भुगतान किया गया हो तो उसे मुझसे वसूल कर लिया जायें। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित हों। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर मूल प्रमाण पत्र परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नही दिया जायेगा'' और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए कोई अपील नही की जा सकेगी।

10 सामान्य निर्देश

1. उत्तर प्रदेश के अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ पाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनतम शासनादेश के अनुंसार निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नही होगा तथा आरक्षण के संबंध में तत्समय भाासन द्वारा निर्गत भर्ती में आरक्षण संबंधी शासनादेश एवं नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
2. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नही होगे।
3. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने पर ही अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा इस हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के मूल निवास–प्रमाण पत्र देना होगा।

4. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नही करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/सार्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये है अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छिपाये है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।यदि इस प्रकार की कोई कमी भर्ती होने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है तथा उसको ड्यूटी भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता या अन्य किसी भी रूप से किये गये समस्त भुगतानों की वसूली कर ली जायेगी।

5. खेलकूद संबंधी स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय के खिलाड़ी को संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला क्रीडा अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिला स्पोर्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव, मण्डल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रिय क्रीडा अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिवीजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु संबंधित स्पोर्ट्स के राज्य स्पोर्ट्स एसोसिएशन अथवा उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगें। अखिल भारतीय स्तर के खिलाड़ी हेतु संबंधित खेलों के राष्ट्रीय खेल संघो द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे।

6. एन0सी0सी0/भूतपूर्व सैनिक/एन0एस0एस0/स्काउट एण्ड गाईड के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगं।

7. कम्प्यूटर/इलेक्ट्रनिक्स/मोटर, मैकेनिक एवं प्लम्बर आदि व्यवयायिक पाठ्यक्रमों में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के डिप्लोमा /सर्टिफिकेट ही मान्य होगें।
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभिन्न ट्रेड्स में अनुभवी/निपुण एवं विभिन्न व्यवसायिक कार्यो जैसे–राजमिस्त्री, दर्जी, धोबी, कुक, नाई, मोची, माली, टेलीविजन मैकेनिक, इलेक्ट्रिशीयन, प्राथमिक चिकित्सा, फायर फाइटिंग, नर्सिंग, तैराक, बढ़ई आदि में दक्ष/कुशल अभ्यर्थी का दक्षता एवं न्यूनतन 02 वर्ष के अनुभव का प्रमाण–पत्र ग्राम प्रधान/नगर निकाय के निर्वाचिन जनप्रतिनिधि/मा0 विधायक/मा0 सांसद/राजपत्रित अधिकारी से अथवा संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण/कार्यानुभव प्रदान करने वाली संस्था/वर्क शाप के प्रबंन्धक से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगे। चयन समिति द्वारा ऐसे ट्रेडमैन की व्यवसायिक दक्षता का समुचित कार्यात्मक प्रशिक्षण/टेस्ट लिया जायेगा।

8. भारी वाहन/हल्के वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स विज्ञापन की तिथि से 01 वर्ष पूर्व का होने पर मान्य होगा।

9. चयनित अभ्यर्थियों का ही स्वास्थ परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। शारीरिक परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने पर संबंधित का चयन निरस्त माना जायेगा।

10. अभ्यर्थियों के समस्त योग्यताओं के प्रमाण–पत्रों एवं दौड़ के सापेक्ष अंको का निर्धारण शासनादेश सं0 2099/ छःनासु–10–438 होगा/07 दिनांक 06.09.2010 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। समस्त भर्ती प्रक्रिया उक्त शासनादेश एवं होमगार्ड्स मुख्यालय के कार्यकारी आदेश संख्या–59/स्था/एक–333/2001, दिनांक 07.01.11 एवं शासनादेश संख्या 3089/95–15–08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी 2016 के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश एवं होमगार्ड्स मुख्यालय का कार्यकारी आदेश जिसके अन्तर्गत भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया विस्तार से उल्लिखित है, विभागीय वेबसाइट पर http://uphaar.nic.in पर ''भर्ती नियमावली शीर्षक'' के अन्तर्गत उपलब्ध है। आवेदक के लिए अनिवार्य है कि आवेदन पत्र भरने से पहले इस वेबसाइट का अवलोकन कर होमगार्ड की भर्ती से संबंधित समस्त प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें।

11. अभ्यर्थियों को आवेदन/परीक्षा शुल्क नही जमा करना है। यह अभ्यर्थन व परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है।

12. होमगार्ड्स की भर्ती के विज्ञापन के अर्न्तगत उल्लिखित भर्ती/परीक्षा प्रक्रिया के विवरणों की व्याख्या में उत्पन्न किसी भी भ्रम की स्थिती में होमगार्ड्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन का मत अंतिम होगा।

13. शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार अथवा भर्ती संबंधी किसी प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा व्यय देय नही होगा।

14. इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाए उपलब्ध करायी जा रही है उसके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

चयन समिति का अन्तिम निर्णयः–

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रो को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रो के आवंटन संबंधी मामलों में चयन समिति का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नही होगा।

नोटः–

1. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्तर्गत भर्ती से संम्बन्धित आरक्षण अथवा अन्य किसी प्रकार के अनुमन्य लाभ प्राप्त करने विशयक सुसंगत प्रमाण–पत्रों को जारी करने वाले कार्यालय का नाम प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी का पदनाम तथा संबंधित प्रमाण–पत्र की पत्र संख्या व दिनांक अवश्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित करेंगे।
2. उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र निर्गत होने की तिथि अभ्यर्थी के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि अथवा उसके पूर्व की तिथि होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात निर्गत कोई प्रमाण–पत्र स्वीकार नही होगे।
3. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपना सम्पर्क मोबाइल नम्बर/दूरभाष संख्या अवश्य अंकित करेगें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हे सूचनाए सुगमता से दी जा सके।
4. यदि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर नही है/अधूरा भरा है तेा आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
5. भर्ती से संबंधित कोई प्रतीक्षा सूची नही बनायी जायेगी।
6. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अंकित कोई भी सूचना यदि तत्समय या भर्ती के उपरांन्त सेवाकाल में गलत पायी जाती है, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सेवकाल में उसके प्रशिक्षण, ड्यूटी भत्ते अथवा किसी राजकीय सामग्री आदि पर हुये समस्त प्रकार के राजकीय व्यय की वसूली करते हुये उसके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।
7. अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में अंकित उसके समस्त प्रमाण पत्रों सम्बन्धित विवरण का भौतिक सत्यापन चयन समिति के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत किये गयें मूल प्रमाण पत्रों से न हो पाने की स्थिति में तत्समय जिन मूल प्रमाण–पत्रों से आवेदन पत्र में अंकित तत्सम्बन्धित विवरण का मिलान हो पायेगा, उनका लाभ अभ्यर्थी को प्रदान किया जायेगा।
8. शासन/विभागाध्यक्ष भर्ती की संख्या में परिवर्तन तथा भर्ती की प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने हेतु सक्षम हैं तथा इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील मान्य नही होगी।

विज्ञापन संख्याः 2226/अवै0हो0गा0भर्ती/18

दिनांक 17.03.2018

(प्रियव्रत सिंह)
जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स इलाहाबाद।

प्रतिलिपि–निमलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– जिलाधिकारी महोदय इलाहाबाद।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद।

3– डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल(वि0) होमगार्ड्स मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में इस अनुरोध के साथ संलग्न विज्ञापन को होमगार्ड्स की वेबसाइट पर लोड कराने की कृपा करें।(सी0डी0 संलग्न)

4– डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स इलाहाबाद।

5– वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी होमगार्ड्स मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

6– जिला सेवा योजन अधिकारी इलाहाबाद।

7– सचिव , जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास परिषद इलाहाबाद ।

8– समस्त परगनाधिकारी/कलेक्ट्रेट/पुलिस कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त तहसीलदार /समस्त थाना प्रभारी एवं जिला होमगार्ड्स कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

9– निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0(विज्ञापन प्रभाग) लखनऊ की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि कृपया शासनादेश सं0 123 दिनांक 14.04.1998 एवं शासनादेश सं0 335 दिनांक 07जून 2001 में निहित व्यवस्थानुसार समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।(विज्ञापन की सी0डी0 संलग्न एक अदद)

10– जिला सूचना अधिकारी इलाहाबाद को शासनादेश सं0 123 दिनांक 14.04.1988 एवं शासनादेश सं0 335 दिनांक 07जून 2001 की छाया प्रतिया संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ कि कृपया शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कश्ट करे।

11– उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा इलाहाबाद को 08 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ की वे अपने स्तर से डिवीजनल वार्डेन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

12– समस्त विंग इंचार्ज/ए0टू0डी0सी0/समस्त बी0ओ0/अवै0कं0कमा0/सहा0कं0कमा0/जिला होमगार्ड्स कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

13– जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स इलाहाबाद।